प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 02.04.2025

विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में 30नि0 रमेश चन्द चौधरी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 705/2024 धारा 420,406,467,468,471 भादिव से संबंधित अभियुक्त रिव मोहन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग कर वादी का दाखिला मदन मोहन मोलवीय प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय में कराने के नाम पर 2,70,000 रूपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिव मोहन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव निवासी महावीर छपरा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 705/2024 धारा 420,406,467,468,471 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1. 30नि0 रमेश चन्द चौधरी कैण्ट जनपद गोरखपुर
- 2. उ0नि0 उदयभान सिंह कैण्ट जनपद गोरखपुर
- 3. का0 शुभम कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर